


: सूचना :

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि कुछ समय से अधिवक्तागण राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर, जयपुर पीठ तथा कुछ अधीनस्थ न्यायालयों में अपनी उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण पक्षकारों के मुकदमों की सुनवाई में बाधा आ रही है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर, जयपुर पीठ व अधीनस्थ न्यायालयों में कोई भी पक्षकार उपस्थित होकर अपने मुकदमे की पैरवी कर सकता है। सभी सम्बन्धित को यह भी सूचित किया जाता है कि वे उच्च न्यायालय में अपने मुकदमे की तारीख राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट hcraj.nic.in से मालूम कर सकते हैं। सभी पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मुकदमों की अगली तारीख की जानकारी उक्त वेबसाइट अथवा सम्बद्ध न्यायालय के कार्यालय से अथवा अपने अधिवक्ता से प्राप्त कर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मुकदमे की पैरवी करें।

आजा से,

18.8.13
रजिस्ट्रार जनरल
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर